राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र. 1912 मि.सं. / रास्वभामिग्रा / पंग्राविवि / 2020:: रायपुर, दिनांक 10-06-2020

प्रति,

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विषय :- **नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में जानकारी भेजने बाबत।**

संदर्भ :- **1583 / 126VIP / 2020 / 22-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06 जून, 2020।**

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र क्रमांक 1583/126VIP/2020/22-1 दिनांक 06 जून, 2020 के माध्यम से नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु किए जा रहे उपायों के संबंध में जानकारी चाही गई है।

तदानुसार उक्त जानकारी तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

(धर्मेश कुमार साहू)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र. 1913 मि.सं. / रास्वभामिग्रा / पंग्राविवि / 2020, रायपुर, दिनांक 10-06-2020
प्रतिलिपिः-

निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

Scanned with CamScanner

नोबेल कोरोना वायरस (कोविड– 19) के संक्रमण को रोकने हेतु किए जा रहे उपायो की जानकारी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

1. **नोबेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संबंध में एडवायजरी :–** नोबेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव के क्रम में साबुन से हाथ धोने के संबंध में एडवायजरी जारी की गई है। उक्त एडवायजरी का प्रचार–प्रसार पंचायतों में कार्यरत स्वच्छाग्रही समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। एडवायजरी का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से किए जाने के संबंध में भी जिलों को निर्देशित किया गया है।

2. **स्वच्छाग्रही समूहों के माध्यम से जागरूकता सृजन :–** ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के विभिन्न घटकों के प्रचार–प्रसार हेतु एक स्व–सहायता समूह को स्वच्छाग्रही समूह के तौर पर संलग्न किया गया है। उक्त स्वच्छाग्रही समूह पंचायतों में नोबेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु स्वच्छता, साबुन से हाथ धोने, मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण उपायो के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने एवं निगरानी हेतु निरंतर सक्रिय हैं।

3. **मनरेगा कार्यस्थल पर जागरूकता :–** स्वच्छाग्रही समूहों को मनरेगा अंतर्गत चल रहे कार्यस्थल पर लोगों में सोशल डिस्टेंसिग के पालन एवं कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों पर जागरूक करने हेतु संलग्न किया गया है। इस कार्य हेतु उन्हे मनरेगा मेट के रूप में कुल मजदूरी दर पर संलग्न किया गया है।

4. **ग्राम स्तर पर रैपिड रिहेबिलिटेशन टीम** :– ग्राम स्तर पर नोबेल कोरोना (कोविड – 19) वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्मित रैपिड रिहेबिलिटेशन सेंटर में स्वच्छाग्रही समूह सदस्य के तौर पर कार्यरत हैं।

5. **प्रचार–प्रसार हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से प्रावधान:–** नोबल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रचार–प्रसार के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रचार–प्रसार मद से प्रावधान किया गया है।

6. **प्रसार–प्रसार सामाग्री के प्रोटोटाईप :–** नोबेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार सामाग्रियों के प्रोटोटाईप जिलों को प्रेषित किए गए हैं।

Scanned with CamScanner